उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-3/2019/वे0आ0-2-147(1) /दस-2019-35(एम)/2008

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2019

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वांछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु गठित वेतन समिति के कार्यालय एवं अध्यक्ष वेतन समिति के स्टाफ के लिये सृजित 09 नि:संवर्गीय पदों का कार्यकाल आखिरी बार कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2018/वे0आ0-2-342/दस-35(एम)/2008, दिनांक 21 मई, 2018 द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिये बढाया गया।

2- तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल दिनांक 28 फरवरी, 2018 से वेतन समिति की समाप्ति के पश्चात् समिति की प्राप्त संस्तुतियों के परीक्षण एवं उसके क्रियान्वयन के लिये वेतन समिति क्रियान्वयन सेल के रूप में वेतन समिति हेतु सृजित 09 नि:संवर्गीय पदों में से 06 पदों को समाप्त करते हुये अवशेष निम्न् 03 नि:संवर्गीय पदों का कार्यकाल 29 फरवरी, 2020 तक के लिये यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0स0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शोध अधिकारी	लेवल-10 (रू0 56100-177500)	01
2	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल-7 (रू0 44900-142400)	02
		कुल-	03

3- उपर्युक्त पदों के पदधारकों को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं, जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें, देय होंगे।

4- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-03- राज्य आयोग और समितियां-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

<u>संख्या-3/2019/वे0आ0-2-147(ii)/दस-2019-35(एम)/2008,तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
(4) लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, कार्यालय वेतन समिति (दो प्रतियों में)।
(5) सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5

आज्ञा से,
आर0एल0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in